


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर

// ज्ञापन //



क्रमांक— डी/1615 /  
V-3-12/57

जबलपुर दिनांक 07 मई 2021.

प्रति,

श्रीमति शबाना खान, पत्नि स्व. श्री नदीम उल्लाह खान,  
शासकीय आवासगृह क्रमांक—एच—96,  
शंकरशाह नगर, रामपुर,  
जबलपुर।

विषय:— शासकीय आवासगृह क्रमांक—एच—96, शंकरशाह नगर, रामपुर, जबलपुर को आधिपत्य में रखने के संबंध में।

संदर्भ:— आपका आवेदन पत्र दिनांक—24.03.2021.

—00—

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयांतर्गत आपके आवेदन पत्र दिनांक—24.03.2021 के परिपेक्ष्य में लेख है कि स्व. श्री नदीम उल्लाह खान, सहायक श्रेणी—दो, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का दिनांक—10.03.2021 को देहावसान होने के फलस्वरूप उन्हें सेवा के दौरान उच्च न्यायालय पूल के आवंटित शासकीय आवासगृह क्रमांक—“एच—96, शंकरशाह नगर, रामपुर, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक—1523, दिनांक—14.07.1975 के अनुसार सामान्य किराया दर एवं उस पर 10 प्रतिशत अधिक राशि को कोविड—19 के कारण शिथिल करते हुये दिनांक—11.03.2021 से दिनांक—10.03.2022 (01 वर्ष) तक की अवधि हेतु सामान्य किराया दर + जल एवं विद्युत राशि के साथ आधिपत्य में रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

07.05.2021  
(सनत कुमार कश्यप)  
रजिस्ट्रार (कार्य/अंधोसरचना)

पृष्ठांकन क्रमांक—.....डी/1616.....  
V-3-12/57

जबलपुर, दिनांक 07 / मई 2021.

प्रतिलिपि:—

- 1/ असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना/लेखा/कार्य) उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर,
- 2/ उप नियंत्रक (लेखा) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 3/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि./या.) जबलपुर,
- 4/ उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) शंकरशाह नगर, रामपुर, जबलपुर,
- 5/ उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि./या.) कटंगा, सेक्शन, जबलपुर,
- 6/ सहायक (कार्य/अवकाश/सेवापुस्तिका/वेतनपत्रक/लेखा) उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

07.05.2021  
(सनत कुमार कश्यप)  
रजिस्ट्रार (कार्य/अंधोसरचना)